

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-7  
संख्या-04/पांच-7-2020  
लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केन्द्र (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-D.No.67/CEOH/NCDC/2018-19/SAPCCHH, Date 26.03.2019 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार क्लाइमेट चेन्ज एण्ड ह्यूमेन हेल्थ के सम्बंध में नीतिगत निर्णय हेतु मा0 स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन निम्नवत किया जाता है:-

(1)	मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0	-	अध्यक्ष।
(2)	अपर मुख्य सचिव, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, उ0प्र0	-	सदस्य।
(3)	अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0		सदस्य।
(4)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।		सदस्य सचिव।
(5)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।		सदस्य।
(6)	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(7)	प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(8)	प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(9)	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(10)	प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(11)	अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0।		सदस्य।
(12)	अधिशासी निदेशक, सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(13)	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।		सदस्य।
(14)	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।		सदस्य।
(15)	महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।		सदस्य।
(16)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।		सदस्य।
(17)	वैज्ञानिक (एफ)/निदेशक, भारत मौसम विभाग, उ0प्र0।		सदस्य।
(18)	निदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।		संयोजक सदस्य।
(19)	क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य परिवार एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।		सदस्य।

हेमन्त कुमार  
विशेष सचिव।

संख्या:- 04(1)/पांच-7-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
- 2- समिति के समस्त सदस्य/संयोजक सदस्य।
- 3- गार्ड फाइल।

A09/NCDC

24/1/2020

आज्ञा से,  
(असीम कुमार सिंह)  
अनु सचिव।